आकाशवाणी केन्द्र शिमला
10.09.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री ने कहा–भाजपा की गलत नीतियों से गरीब हुआ हिमाचल–प्रदेश की वित्तीय स्थति पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष का सदन से वाकआउट।
- प्रदेश में बेतरतीव तहबाजारी की समस्या से निपटने के लिए स्ट्रीट वैंडर्स समिति बनाएगी राज्य सरकार।
- प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित–लगभग 53 घंटे चली सदन की कार्यवाही।
- शिमला के संजौली क्षेत्र में कल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 रहेगी लागू–स्कूल, कार्यालय और बाजार रहेंगे खुले।

नियम 130

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल एक अमीर राज्य था, जो भाजपा की गलत नीतियों के कारण गरीब हो गया है। शिमला में आयोजित विधानसभा के मॉनसूत्र के अंतिम दिन आज सदन में नियम 130 के तहत राज्य की आर्थिक स्थिति पर दो दिन तक हुई चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि कैश फ्लो मिस–मैच हुआ है और सरकार इसे कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश आर्थिक संकट से उबर चुका है और अब वित्तीय अनुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए बहुत कड़े फैसले लेने होंगे। उन्होंने प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए धारा 118 को और लचीला बनाने की बात कही। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के आय के संसाधन बढ़ाने और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए जहां आबकारी नीति में संशोधन किया है, वहीं डीजल पर दो बार वैट बढ़ाया गया और राज्य की न्यू मिनरल पालिसी भी तैयार की गई। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को पेशकश की कि वह प्रदेश हित के लिए उनके नेतृत्व में भी केंद्र से मदद मांगने के लिए दिल्ली जाने को तैयार है।

मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने यह कहते हुए सदन से वाकआउट किया कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए गारंटियों के नाम पर झूठ बोला है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री में जरा भी नैतिकता है तो वह प्रदेश की जनता से झूठ बोलने और गुमराह करने के लिए माफी मांगे। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने सदन में नारेबाजी भी की। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष के वाकआउट की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा विधायक दल दिशाहीन हो गया है। उन्होंने कहा कि आज सदन में वाकआउट का कोई माहौल नहीं था, इसके बावजूद विपक्ष ने सुर्खियों में बने रहने के लिए वाकआउट किया।

प्वाइंट ऑफ आर्डर

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में बेतरतीब तहबाजारी की समस्या से निपटने के लिए स्ट्रीट वैंडर्स समिति बनाएगी। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक हरीश जनारथा द्वारा संजौली में अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद के खिलाफ लोगों के आकोश पर उठाए गए प्वाइंट ऑफ ऑर्डर का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वैंडर्स समिति बनाने के लिए विधानसभा की एक कमेटी या कैबिनेट की सब कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में अधिकारियों के अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के विधायकों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई स्ट्रीट वेंडर नीति में तहबाजारियों की बैकग्राउंड जांचने के बाद ही उन्हें लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मस्जिद मामले में कानून अपना काम करेगा और अगर कुछ अवैध हुआ है तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि संजौली क्षेत्र में मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ लोगों का आक्रोश पूरे राज्य में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान बाहरी लोगों के सत्यापन और पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश का हर नागरिक हिमाचल आ सकता है, लेकिन जिस तरह से राज्य में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिनका इतिहास सत्यापित नहीं है, वह चिंताजनक है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार प्रदेश में एक भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देगी। यह सरकार की वचनबद्धता है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक अनुराधा राणा द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गुणात्मक शिक्षा की दिशा में गंभीरता से सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में देश में 21वें स्थान पर पहुंच गया है, जो सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही स्पीति में बोर्डिंग स्कूल की शुरूआत करने जा रही है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांगड़ा के गरली में स्थापित को–ऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर को ऊना शिफ्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी सहकारी प्रशिक्षण केंद्र हैं, सरकार उन सभी केंद्रों को मजबूत करने के लिए कदम उठाएगी। उपमुख्यमंत्री ने यह बात विधायक बिक्रम ठाकुर द्वारा नियम–62 के तहत को–ऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर गरली को ऊना हस्तांतरित किए जाने बारे लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कही। अग्निहोत्री ने कहा कि गरली में 1981 में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। अग्निहोत्री ने कहा कि गरली और ऊना के पंजावर में स्थापित प्रशिक्षण केंद्र एक साथ काम करते रहेंगे और अपनी अपनी प्रशिक्षण गतिविधियां चलाते रहेंगे।

विधेयक पारित

प्रदेश सरकार ने राज्य के घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को एक और बड़ा झटका दिया है। इस संबंध में आज सदन ने हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2009 के संख्यांक 13 में और संशोधन करने के लिए लाए गए विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद बिजली उपभोक्ताओं पर दूध उपकर और पर्यावरण उपकर लगेगा। इसका असर प्रदेश के सभी वर्गों के बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। संशोधनों को उचित ठहराते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने पहले शराब पर लगाए गए दूध उपकर से एक सौ 30 करोड़ रुपये कमाए हैं। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादकों की आर्थिकी को मजबूत करने और किसानों के उत्थान के लिए बिजली पर दूध उपकर लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों पर पर्यावरण उपकर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि छोटी औद्योगिक इकाइयों के लिए दो पैसे, मध्यम के लिए चार पैसे, बड़ी औद्योगिक इकाइयों पर 10 पैसे, स्टोन क्रशर के लिए दो रुपये और इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने पर छह रुपये उपकर के रूप में लिए जाएंगे।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब से सरकार बनी है, तभी से गरीबों पर बोझ डालने का काम किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह संशोधन राज्य को लाभ पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाएगा। विधायक बिक्रम सिंह, रणधीर शर्मा और राकेश जम्वाल ने संशोधन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री से कुछ और संशोधन करने व पहले से ही बढ़ी हुई बिजली दरों से जूझ रहे लोगों पर बोझ न डालने का आग्रह किया।

सत्र स्थगित

प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्र की समाप्ति के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा का मॉनसून सत्र अपेक्षा अनुरूप सफलता के साथ सम्पन्न हुआ और सत्र के दौरान कुल 11 बैठकें आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि सदन की कार्यवाही लगभग 53 घंटे तक चली और इस दौरान 4 सौ 80 तारांकित और 2 सौ 99 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के सुचारू संचालन में रचनात्मक सहयोग के लिए पक्ष व विपक्ष के सभी सदस्यों का आभार जताया।

अनुपम कश्यप

शिमला के संजौली क्षेत्र में कल 11 सितम्बर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी। ज़िला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश कल सुबह 7 बजे से रात 11 बजकर 59 मिनट तक लागू रहेंगे। आदेशों के अनुसार संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने व शांति बनाए रखने की दृष्टि से 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ यहां पर किसी भी व्यक्ति को अस्त्र–शस्त्र व अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अलावा बिना अनुमति किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी व भूख हड़ताल

करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। वहीं अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। अनुपम कश्यप ने कहा कि क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से रहेगा और स्कूलों सहित सरकारी व निजी कार्यालय और बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने वैज्ञानिकों, उत्पादकों व उद्यमियों से मशरूम की पैदावार बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने आज सोलन में 27वें राष्ट्रीय मशरूम मेले के शुभारंभ अवसर पर कहा कि मशरूम की जीवन अवधि बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक शोध करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीते 27 वर्षों में कई उत्पादकों ने मशरूम की खेती को रोजगार के तौर पर अपनाया है और ग्रामीण युवाओं के लिए यह रोजगार का बहुत ही शानदार जरिया है। राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 1970 के अंत में भारत में मशरूम की खेती शुरू हुई और आज दुनिया के लगभग एक सौ देशों में इसकी खेती की जा रही है। उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर है। शिव प्रताप शुक्ल ने किसानों को जागरूक करने के लिए समय–समय पर मेले, सेमिनार, प्रशिक्षण और प्रदर्शनियां आयोजित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।